न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—8/2019/225 (2019/00008)

1. महावीरसिंह पुत्र धन्नासिंह,
2. जेतासिंह पुत्र धन्नासिंह,
3. सांवरसिंह पुत्र जेतासिंह,
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम बडलिया, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।
2. आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, दिनांक 8.5.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 17/2018.

उपस्थितः—

1. श्री मौहम्मद इकबाल, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री रामकिशोर खदाव, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 30.7.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 8.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92—ए एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बडलिया स्थित आराजी खसरा नंबर सन् फसली 40 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा के वर्किंग खसरा नंबर 60 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा के आधारभूत वर्तमान खसरा नंबर 18 रकबा 0.83 है0 एवं 277/5614 रकबा 0.74 है0 बने है । उपरोक्त खसरा नंबर 40 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा में 1/2 हिस्सा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 17.12.1955 को अपीलांटस के पिता धन्ना पुत्र कज्जा के भाई धूकल पुत्र कज्जा के द्वारा तत्कालीन खातेदारान काना पुत्र खुमा, कज्जा पुत्र रामा, हजारी पुत्र लाला, छोगा पुत्र कालू, जाति रावत, निवासी ग्राम बडलिया से जो कि अजमेर स्टेट के समय पटेल थे से क्रय की थी तत्पश्चात् उपरोक्त आराजियात पर अपीलांटस काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु भू—प्रबंध विभाग के द्वारा उपरोक्त आराजियात को मूल खातेदारान के नाम से हटाकर हाल में जरिये नामांतकरण संख्या 71 दिनांक 10.1.2014

व नामांतकरण संख्या 69 दिनांक 21.10.2013 से रेस्पो0 संख्या 2 के नाम दर्ज करने के पश्चात् वाद कारण उत्पन्न हुआ जिसकी दुरूस्ती करते हुए उपरोक्त भूमि अपीलांटस के नाम दर्ज करने के आदेश जारी करने की प्रार्थना की । उपरोक्त वाद प्रस्तुत होने के पश्चात् दिनांक 8.5.2018 को अपीलांटस की बहस सुनी गई और नॉन स्पीकिंग आदेश पारित करते हुए रेस्पो0 की तलबी के आदेश प्रदान किये गये किन्तु आज दिवस तक किसी भी प्रकार की सुनवाई अधी0न्याया0 के द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता में दर्शाये गये प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई से उपरोक्त अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलाधीन आराजी खसरा नंबर 40 जो कि सन्फसली जमाबंदी में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काना पुत्र खूमा, कज्जा पुत्र रामा, हजारी पुत्र लाला, छोगा पुत्र कालू जाति रावत के नाम दर्ज थी जो कि पटेल थे । उपरोक्त आराजी अजमेर स्टेट के समय से ही उनके नाम दर्ज चली आ रही थी जिनके द्वारा दिनांक 17.12.1955 को उपरोक्त आराजी का बैचान अपीलांटस के पिता स्व0 धन्ना पुत्र कज्जा के भाई धूकल पुत्र कज्जा को किया गया था जिसके पश्चात् से अपीलांटस अपने पूर्वजों के बाद से ही उपरोक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है परन्तु उक्त आराजियात राजस्व अभिलेख में अपीलांटस के नाम दर्ज नहीं किये जाने से तथा मूल खातेदारों का नाम रिकार्ड से विलोपित जाने के पश्चात् उपरोक्त आराजियात को सिवायचक दर्ज कर दिया गया जो हाल ही में रेस्पो0 संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी गई जबकि विवादित आराजियात पर अपीलांटस ही काबिज काश्त चले आ रहे है । अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत होने के उपरांत दिनांक 8.5.2018 को अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर रेस्पो0 को सुनवाई का अवसर देते हुए पेशी दिनांक 31.5.2018 नियत की गई । दिनांक 31.5.2018 को रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री रामकिशोर उपस्थित हुए जिस पर अपीलांटस ने सुनवाई करवानी चाही परन्तु पीठासीन अधिकारी राजकीय दौरे पर होने के कारण पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत की गई जहां पर अपीलांटस ने पुनः सुनवाई चाही परन्तु लोक अदालत में सुनवाई किया जाना उचित नही मानते हुए पत्रावली में मुख्यालय की पेशी नियत की गई ं दिनांक 18.9.2018 को अपीलांट ने पुनः उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करने का निवेदन किया कि जिस पर अधी0न्याया0 के द्वारा पुनः रेस्पो0 को जवाब का समय देते हुए तारीख पेशी नियत कर दी । उपरोक्त प्रकरण में अधी0न्याया0 द्वारा सुनवाई नही किए जाने के कारण मान0 न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रहता है । मान0 न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजियात के बाबत् अपील प्रस्तुति के दिवस सुनवाई की जाकर अपीलाधीन आराजियात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बाबत् आदेश पारित किया गया है जिसे यथावत् रखा जाकर अधी0न्याया0 को उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0 अधि0 गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे । बहस में यह भी कथन किया कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत स्पष्ट रूप से प्रावधान दिया हुआ है कि अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अधिक से अधिक एक माह में निस्तारित किया जाना चाहिये परन्तु अधी0न्याया0 ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के नियमों की अनदेखी कर त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण में कार्यवाही नही किये जाने से अपीलांटस को अपूर्णीय क्षति हो रही है एवं रेस्पो0 अपीलांटस को विवादित आराजी से

बेदखल करने पर आमादा है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 8.5.2018 में वर्णित विवादित आराजियात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान करे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2016 (23) पेज 468 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा आदेश दिनांक 8.5.2018 पारित करने के पश्चात् भी नियमित रूप से पेशी दिनांक 31.5.2018, 12.6.2018, 17.7.2018, 21.8.2018, 18.9.2018, 23.10.2018, के पश्चात् दिनांक 15.1.2019 नियत कर दी गई है जिससे अपीलांटस को अपूर्णीय क्षति हो रही है एवं रेस्पो0 अपीलांटस को बेदखल करने पर आमादा है । अपीलांटस ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जिन्हें मियाद की कानूनी जानकारी नहीं है ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 एवं रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात प्रारंभ से राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज रही है तत्पश्चात् नामांतकरण संख्या 143 दिनांक 13.7.1989 के अनुसार खसरा नंबर 60 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा 2 बिस्वांसी भूमि गै0मु0 सड़क परिवहन एवं जहारानी मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज हुआ तथा इसी खसरा नंबर का शेष रकबा जरिये नामांतकरण संख्या 453 दिनांक 6.4.2004 के अनुसार खसरा नंबर 60 मिन रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा 4 बिस्वांसी नगर सुधार न्यास, अजमेर को हस्तातंरित की गई है । विवादित आराजी कभी भी अपीलांट के नाम दर्ज नहीं रही है एवं न ही इस पर अपीलांट का कब्जा है । रेस्पो0 संख्या 2 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है जिसमें अधी0न्याया0 द्वारा किसी प्रकार का आदेश प्रदान नहीं किया गया है इसलिये बिना किसी आदेश के अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. अधी0न्याया0 द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जाकर प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किये जाने से पूर्व रेस्पो0 को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु तलबी के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में जो कथन अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर विवादित भूमि खसरा नंबर 40 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा में 1/2 हिस्सा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 17.12.1955 को अपीलांटस के पिता धन्ना पुत्र कज्जा के भाई धूकल पुत्र कज्जा के द्वारा तत्कालीन खातेदारान काना पुत्र खुमा, कज्जा पुत्र रामा, हजारी पुत्र लाला, छोगा पुत्र कालू, जाति रावत, निवासी ग्राम बडलिया से जो कि अजमेर स्टेट के समय पटेल थे से क्रय करना

अंकित किया है तथा वाद के निस्तारण तक विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने, रहन, बैचान व मुन्तकिल नहीं करने का अनुतोष चाहा है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण/रेस्पो0 को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये है । तत्पश्चात् दिनांक 18.9.2018 को अप्रार्थीगण द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 2 आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । रेस्पो0 संख्या 2 राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार दर्ज है तथा रिकार्डेड खातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना किसी भी प्रकार का आदेश पारित करना विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया है। अपीलांटस द्वारा जिस आदेशिका दिनांक 8.5.2018 के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है वह आदेश न होकर न्यायिक प्रक्रिया है जिसके विरूद्ध अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं है । उपरोक्तानुसार अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य पायी जाती है । अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है ।

10. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.5.2018 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

11. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.5.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 30.7.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर